

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड- I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. **66** / 2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: **21** मार्च, 2016

विषय:- प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2016 (1 अक्टूबर, 2015 से 30 सितम्बर, 2016 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए गैर-उपकर (मुक्त बिक्री) कोटे में से खांड (98 डिग्री पोल पर) के 723 मीट्रिक टन (सात सौ तेईस मीट्रिक टन) की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करते हैं।


2. अधिसूचना सं० 3/2015-20, दिनांक 20.4.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन होगा।

3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं० 3/2015-2020, दिनांक 20.4.2015 द्वारा यथाअधिसूचित रिपोर्टिंग की आवश्यकता का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.9.2016 तक खांड निर्यात किए जाने के लिए 723 मीट्रिक टन (सात सौ तेईस मीट्रिक टन) की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित कर दिया गया है।


(अनूप वधावन)

महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल: dgft@nic.in

(फा० सं० 01/91/180/879/एम 08/निर्यात सैल/पार्ट से जारी)